

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

प्रलिस के लयः

[राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग](#)

मेन्स के लयः

उभरती मानवाधिकार चुनौतयों, [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) की भूमिका और कार्य

[स्रोत: द प्रटि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **NHRC** ने **सीमांत वर्गों** के अधिकारों की रक्षा पर चर्चा करने के लिये सभी सात **राष्ट्रीय आयोगों** की एक बैठक बुलाई, जसका लक्ष्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और कार्यान्वयन रणनीतियों पर सहयोग करना था।

- इन सात नकियों में [राष्ट्रीय महिला आयोग \(NCW\)](#), [राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग \(NCSC\)](#), [राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग \(NCST\)](#), [राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग \(NCPCR\)](#), [राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग \(NCM\)](#) और [राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग \(NCBC\)](#), [वकिलांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयोग](#) शामिल हैं।

मानवाधिकार आयोगों की संयुक्त बैठक के क्या परणाम हैं?

- **प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संयुक्त रणनीतयों:**
 - NHRC ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिये मौजूदा कानूनों और योजनाओं को **प्रभावी ढंग** से लागू करने के लिये **संयुक्त रणनीतयों (Joint Strategies)** तैयार करने के लिये सभी सात राष्ट्रीय आयोगों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।
 - NHRC ने [SC-ST समुदायों](#), [महिलाओं](#) और समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों के लिये समता और सम्मान सुनिश्चित करने हेतु एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने के महत्त्व पर प्रकाश डाला है।
- **सेप्टिक टैंकों की यंत्रों द्वारा सफाई (Mechanical Cleaning):**
 - NHRC ने [सेप्टिक टैंकों](#) की यंत्रों द्वारा सफाई के महत्त्व पर भी ज़ोर दिया है। राज्यों तथा स्थानीय नकियों से इस मामले पर **NHRC** की सलाह का पालन करने का आग्रह किया गया।
- **अनुसंधान हेतु सहयोग:**
 - **प्रयासों के दोहराव से बचने के लिये** अनुसंधान हेतु सभी आयोगों के बीच सहयोग की भावना होनी चाहिये।
 - **NHRC** और [राष्ट्रीय महिला आयोग \(NCW\)](#) के बीच अनुसंधान के सामान्य वषियों पर प्रकाश डाला गया और महिलाओं के लिये संपत्ति के अधिकारों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये राज्य वैधानिक प्रावधानों की अनुकूलता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।
- **शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चुनौतयों:**
 - [राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग \(NCSC\)](#) के अध्यक्ष ने [नई शिक्षा नीति](#) और उभरती प्रौद्योगिकी का समान लाभ लोगों तक सुनिश्चित करने की चुनौती पर चर्चा की।
 - उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मानसिकता में बदलाव सरिफ कानून से नहीं लाया जा सकता बल्कि इसके लयिभावना और **संवेदनशीलता** की भी आवश्यकता होती है।
 - **SC और ST अधनियम** के तहत मुआवज़े में वलिंब पर प्रकाश डाला गया, साथ ही सभी राज्यों में पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।
- **बच्चों के अधिकार:**
 - [राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग \(NCPCR\)](#) के अध्यक्ष ने बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में आयोग के सक्रिय कार्यों पर प्रकाश डाला।
 - आयोग आठ पोर्टलों की नगिरानी कर रहा है और एक लाख से अधिक **अनाथ बच्चों** का पुनर्वास सुनिश्चित किया है।
 - इसने बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिये दशा-नरिदेश और SOP भी जारी कये हैं।

- **राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)** के तहत बढ़े हुए मुआवज़े और नज़ी स्कूलों में बाल अधिकारों के उल्लंघन में हस्तक्षेप करने के राज्य के दायित्व पर भी ज़ोर दिया गया।
- **वकिलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:**
 - **वकिलांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त** ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 'दवियांगजनों' के बीच अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ संबंधित चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं।
 - उदाहरण: दृष्टिबाधितों को ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने के दौरान कैप्चा कोड की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
- **सहयोग का दायरा और संरचित दृष्टिकोण:**
 - इस बात पर सहमत व्यक्त की गई कि आयोगों के बीच सहयोग बढ़ाने और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये एक संरचित दृष्टिकोण की वकालत करने, संस्थागत बातचीत के मूल्य, सहयोगात्मक सलाह पर ज़ोर देने और तालमेल तथा दक्षता के लिये '**HRCNet पोर्टल**' का उपयोग करने की आवश्यकता है।
 - **HRCNet एक वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल है**, जो पीड़ित नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिये एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या है?

- **परिचय:**
 - यह देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, यानी इसमें भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतरराष्ट्रीय अनुबंध तथा भारत में न्यायालयों द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्तों के **जीवन, स्वतंत्रता**, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार शामिल हैं।
- **स्थापना:**
 - इसकी स्थापना **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Human Rights Act- PHRA), 1993** के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को की गई।
 - PHRA अधिनियम को मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था।
 - इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, जसि मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिये अपनाया गया था।
- **संरचना:**
 - आयोग में एक **अध्यक्ष**, पाँच पूर्णकालिक सदस्य तथा सात मानद सदस्य (Deemed Members) होते हैं।
 - अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या **सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश** होता है।
- **नियुक्ति एवं कार्यकाल:**
 - अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा छह सदस्यीय समिति की सफारिशों के आधार पर की जाती है।
 - समिति में प्रधानमंत्री, **लोकसभा अध्यक्ष**, **राज्यसभा** का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में वपिक के नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं।
 - अध्यक्ष और सदस्य **तीन वर्ष की अवधि के लिये या 70 वर्ष की आयु तक** (जो भी पहले हो) पद पर बने रहते हैं।
- **भूमिका एवं कार्य:**
 - इस आयोग के पास न्यायिक कार्यवाही करने के साथ ही सविलि न्यायालय की शक्तियाँ हैं।
 - मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच के लिये केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों या जाँच एजेंसियों की सेवाओं का प्रयोग करने का अधिकार।
 - मामला घटित होने के एक वर्ष के भीतर मामलों की जाँच करने का अधिकार।
 - इसके कार्य की प्रकृति मुख्यतः अनुशासनात्मक होती है।

NHRC की कार्यप्रणाली में क्या कमियाँ हैं?

- **सफारिशों की गैर-बाध्यकारी प्रकृति:**
 - हालाँकि NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है और सफारिशें प्रदान करता है, कति यह अधिकारियों को वशिष्ट कार्रवाई करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता है। इसका प्रभाव वधिक के बजाय काफी हद तक नैतिक होता है।
 - उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने में असमर्थता:
 - NHRC के पास उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने का अधिकार नहीं है। मानवाधिकारों के हनन के अपराधियों की पहचान किये जाने के बावजूद NHRC अभ्युक्त पर सीधे जुर्माना नहीं लगा सकता या फरि पीड़ितों को राहत नहीं प्रदान कर सकता है। यह सीमा इस आयोग की प्रभावशीलता को कम कर देती है।
- **सशस्त्र बल संबंधी मामलों में सीमित भूमिका:**
 - सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में NHRC का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। सैन्य कर्मियों से जुड़े मामले अक्सर इस आयोग के दायरे से बाहर होते हैं।
- **मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी पुराने मामले में समय सीमाएँ:**
 - NHRC एक वर्ष के बाद रिपोर्ट किये गए मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों पर विचार नहीं कर सकता। यह सीमा NHRC को पुरानी अथवा वलिंबित मानवाधिकार शिकायतों का प्रभावी निपटान करने से रोकती है।
- **संसाधनों की कमी:**
 - संसाधनों की कमी NHRC के समक्ष एक अन्य समस्या है। मामलों की अत्यधिक संख्या और संसाधनों की सीमिता के कारण आयोग को जाँच, पृष्ठछा और जन जागरूकता अभियानों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिये संघर्ष करना पड़ता है।
 - कई राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के पद रक्ति हैं, वे इनके बिना ही कार्य कर रहे हैं और NHRC के ही सामान राज्य मानवाधिकार

परश्न. नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2011)

1. शिक्षा का अधिकार
2. सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का अधिकार
3. भोजन का अधिकार.

उपर्युक्त में से कौन-सा/से "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" के अंतर्गत मानवाधिकार है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के वरिद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिये। (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-human-rights-commission-nhrc->

